रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273966
CG-DL-E-01072026-273966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948
No. 176] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

मामला सं. एडी (एसएसआर) 09/2026

सेतु मामला आई.डी.एडी/एसएसआर/010/2026

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डेकोर पेपर" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/13/2026– डीजीटीआर— आईटीसी लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डेकोर पेपर (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत में पाटन जारी रहा है तथा घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को बढ़ी हुई क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा एवं उसे जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

क. पूर्व जांच की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 30 सितम्बर, 2020 की जांच शुरुआत अधिसूचना के माध्यम से शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के पश्चात प्राधिकारी ने दिनांक 28 सितम्बर, 2021 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना, फा. सं. 6/38/2020-डीजीटीआर के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। इन सिफारिशों को वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से प्रभावी किया गया।
4. तत्पश्चात चीन के एक उत्पादक, अर्थात् हांगझोउ हुआवांग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तथा भारत के एक आयातक, अर्थात् फकीरसन्स पैपकेम प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष सिविल आवेदन (एससीए) सं. 16555/2021 दायर किया। इसमें यह चुनौती दी गई कि उक्त निर्यातक के साथ असहयोगी के रूप में अनुचित व्यवहार किया गया था। परिणामस्वरूप, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 11 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा प्राधिकारी को उक्त निर्यातक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया।
5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 10 अप्रैल, 2022 को परिशिष्ट अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मई, 2022 की अधिसूचना सं. 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से प्रभावी किया गया।
6. इसके पश्चात, निर्दिष्ट प्राधिकारी को दो आवेदन प्राप्त हुए। पहला आवेदन हांगझोउ हुआवांग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तथा फकीरसन्स पैपकेम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुआ, जिसमें मार्जिन के पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया गया था। दूसरा आवेदन इंडियन लैमिनेट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा अपने सहयोगी सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड, मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी और थंसाऊ डेकोर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुआ, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। इन आवेदनों के आधार पर प्राधिकारी ने चीन से डेकोर पेपर के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकारी ने दिनांक 25 मार्च, 2025 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. सं. 7/15/2023-डीजीटीआर जारी की, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 जून, 2025 की अधिसूचना सं. 19/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से प्रभावी किया गया। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क दिनांक 26 दिसम्बर, 2026 तक प्रभावी हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 40-130 जीएसएम के रील स्वरूप में अनलेपित कागज है, जिसकी क्लेम अवशोषण क्षमता कम से कम 12 मि.मी. प्रति 10 मिनट, गीली तन्य शक्ति 6-12 एन /15 मि.मी. तथा गुरले रंध्रता 10-40 सेकेंड/100 मि.ली. हो तथा जिसमें भराव सामग्री के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड अथवा वर्णक (पिग्मेंट्स) सम्मिलित हों। यह उच्च दाब (एचपीएल) अथवा निम्न दाब (एलपीएल) सजावटी लैमिनेट्स के लिए आधार कागज है, जिसे सजावटी आधार कागज, उच्च दाब अथवा निम्न दाब लैमिनेट्स के लिए सजावटी कागज, कोटिंग बेस पेपर तथा प्रिंट बेस पेपर के नाम से भी जाना जाता है, किन्तु सीमा शुल्क वर्गीकरण 4811 के अंतर्गत वर्गीकृत मुद्रित डेकोर पेपर को इससे बाहर रखा गया है।

8. विचाराधीन उत्पाद में डेकोर पेपर की विभिन्न किस्में सम्मिलित हैं, जैसे कि सरफेसिंग पेपर (सफेद/ऑफ-व्हाइट), लाइनर (सफेद/ऑफ-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर तथा प्रिंट बेस पेपर (रंगीन/सफेद), किन्तु सीमा शुल्क वर्गीकरण 4811 के अंतर्गत वर्गीकृत मुद्रित डेकोर पेपर को इससे बाहर रखा गया है। इसका आयात वैक्सिंग, कोटिंग एवं इम्प्रेग्नेशन हेतु आधार कागज; मुद्रण हेतु आधार कागज; सजावटी उद्योग में उपयोग हेतु आधार कागज तथा बैरियर पेपर के रूप में किया जा सकता है। यह 95 सेमी, 96 सेमी, 102 सेमी, 123 सेमी, 123.5 सेमी, 124 सेमी, 124.5 सेमी, 125 सेमी, 131 सेमी, 132 सेमी, 183 सेमी, 184 सेमी तथा 185 सेमी सहित विभिन्न आकारों में उपलब्ध हो सकता है।

9. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जैसा कि पूर्व में संपन्न जांचों में परिभाषित किया गया था।

10. संबद्ध वस्तुएं सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के अध्याय 48 के अंतर्गत सीमा शुल्क वर्गीकरण 4805 91 00 के तहत वर्गीकृत हैं तथा इनका आयात एचएस कोड 4802 20 90 के अंतर्गत भी किया जाता है।

11. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पीसीएन कार्यप्रणाली प्रस्तावित की है :

क्र.सं.	विशेषता	विवरण	कोड चिह्न
1	जीएसएम	50 जीएसएम से कम 50 जीएसएम से 70 जीएसएम से कम 70 जीएसएम एवं उससे अधिक	"1" "2" "3"
2	रंग	रंगीन डेकोर पेपर अरंगित डेकोर पेपर	"C" "U"
3	उपयोग	लाइनर/सरफेसिंग उपयोग हेतु डेकोर पेपर अन्य उपयोगों हेतु डेकोर पेपर	"1" "2"

12. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों को, यदि कोई हो, विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा प्रस्तावित पीसीएन कार्यप्रणाली के संबंध में अपनी टिप्पणियां जांच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

ग. समान वस्तु

13. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय हैं, जिनमें भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण सम्मिलित हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापन योग्य हैं तथा उपभोक्ताओं द्वारा उनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया जाता है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु माना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

14. आवेदन आईटीसी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक, अर्थात् पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स तथा श्री कृष्ण है। जांच अवधि के दौरान आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक का संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

15. पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने समर्थन-पत्र प्रस्तुत करते हुए वर्तमान जांच शुरू करने तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।

16. उपर्युक्त तथ्यों तथा आवेदक द्वारा दायर आवेदन की जांच के पश्चात प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाता है कि आवेदक तथा समर्थनकर्ता मिलकर जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक प्रमुख भाग प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आवेदक, नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है। तथा आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

17. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

च. जांच अवधि

18. आवेदक ने 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि को जांच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि को जांच अवधि माना है। क्षति जांच अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच अवधि सम्मिलित होगी।

छ. पाटन की संभावना और उसके जारी रहने या पुनरावृत्ति होने का आधार

i. सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उक्त पैरा 7 के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तु के मूल्य, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात मूल्य, अथवा भारत में देय अथवा चुकाए गए मूल्य सहित किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

20. वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्माण घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ को समुचित रूप से समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात मूल्य

21. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात मूल्य डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में उपलब्ध सीआईएफ मूल्य के आधार पर परिकलित किया गया है। कारखाना-स्तर (निर्यात मूल्य निर्धारित करने हेतु समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजन किए गए हैं।

iii. पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना-स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। अतः पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का भारत में पाटन किया जा रहा है।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

23. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी को यह जांचना आवश्यक है कि वर्तमान में लागू शुल्क की समाप्ति अथवा निरसन से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना उत्पन्न होगी या नहीं।

24. आवेदक ने प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह स्थापित होता है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होती रही है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को लगातार कम किया है तथा मूल्य दमन और मूल्य ह्रास उत्पन्न किया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना भी है, क्योंकि भारत चीनी उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है तथा भारत में पाटन लगातार जारी रहा है। चीनी उत्पादकों के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है तथा वे तीसरे देशों में भी पाटन कर रहे हैं। अन्य अधिकार-क्षेत्रों में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण उन्होंने बाजार हिस्सेदारी खोई है। प्राधिकारी यह नोट करता है कि पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यदि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, तो पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

25. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित आवेदन तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से संतुष्ट होने के पश्चात तथा अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित करते हुए, प्राधिकारी एतद्द्वारा यह जांच करने हेतु निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करता है कि क्या संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

ञ. प्रक्रिया

26. यह निर्णायक समीक्षा, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 की अधिसूचना फा. सं. 6/38/2020-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 25 मार्च, 2025 की अधिसूचना फा. सं. 7/15/2023-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम, जिनमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलुओं को आच्छादित करेगी।

27. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस समीक्षा जांच पर लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुति

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से सभी संचार एवं प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ा संबंधी फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
29. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक सूचनाएं प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्रारूप एवं रीति से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी वर्तमान जांच से संबंधित अपनी प्रस्तुति इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्रारूप एवं रीति से, इस अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
31. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले पक्षकार को उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध करानी होगी।
32. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से दृष्टि बनाए रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं से अवगत रहने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करें।

ठ. समय-सीमा

33. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी AD/SSR/010/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण तथा अगोपनीय संस्करण घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किए जाने अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित स्तंभों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।
34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें। विचाराधीन उत्पाद पीयूसी के दायरे अथवा पीसीएन कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
35. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से ऐसे विचाराधीन उत्पाद पीयूसी अथवा पीसीएन में संशोधन करता है, जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह समय-विस्तार संशोधित पीयूसी अथवा पीसीएन की अधिसूचना की तिथि से प्रदान किया जाएगा। इस पैरा में

उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां जांच शुरू होने के पश्चात पीयूसी अथवा पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। 15 दिनों के उक्त समय-विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से अतिरिक्त समय-विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, जैसा कि नियमावली के नियम 6(4) में उपबंधित है।

36. समय-विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा मूल समय-सीमा समाप्त होने से कम-से-कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस अवधि के पश्चात प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुति

37. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुसार, ऐसी सूचना का अगोपनीय संस्करण भी साथ-साथ प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उत्तर/प्रस्तुति अस्वीकार की जा सकती है।

38. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (उससे संलग्न परिशिष्टों/अनुलग्नकों सहित), जिसमें प्रश्नावली के उत्तर भी सम्मिलित हैं, प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय तथा अगोपनीय संस्करण पृथक-पृथक प्रस्तुत करने होंगे।

39. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। जिन प्रस्तुतियों पर ऐसा अंकन नहीं किया गया होगा, उन्हें प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा तथा प्राधिकारी को ऐसे अभ्यावेदनों का निरीक्षण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कराने की स्वतंत्रता होगी।

40. गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी सूचनाएं सम्मिलित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हैं अथवा जिनके प्रदाता ने उन्हें गोपनीय होने का दावा किया है। ऐसी सूचनाओं के संबंध में, जिन्हें स्वभावतः गोपनीय बताया गया है अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना प्रदाता को यह स्पष्ट करते हुए पर्याप्त कारण विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय संस्करण, गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को यथासंभव अनुक्रमित अथवा जहां अनुक्रमण संभव न हो वहां रिक्त किया गया हो तथा ऐसी सूचना का गोपनीयता के दावे के अनुरूप समुचित एवं पर्याप्त सारांश भी प्रस्तुत किया गया हो।

42. अगोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय-वस्तु का युक्तिसंगत रूप से बोध हो सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे यह पर्याप्त एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा कि ऐसा सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

43. हितबद्ध पक्षकार गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के प्रसार की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी यह पाता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटन की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

44. नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुरूप सार्थक अगोपनीय संस्करण अथवा पर्याप्त एवं उपयुक्त कारण विवरण के बिना की गई कोई भी प्रस्तुति अभिलेख पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

45. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सभी अगोपनीय संस्करण सेतु पोर्टल पर संबंधित लॉग-इन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध होंगे।

ण. असहयोग

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार अभिगम प्रदान करने से इंकार करता है अथवा युक्तिसंगत अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा अथवा बाद में पृथक संचार के माध्यम से प्रदान की गई अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है तथा केंद्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June 2026

Case No. AD(SSR)-09/2026
SETU Case ID: AD/SSR/010/2026

Subject: Initiation of sunset review of anti-dumping duty on imports of Decor Paper originating in or exported from China PR.

No. 7/13/2026-DGTR— ITC Limited (hereinafter also referred to as the “applicant”), has filed an application before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules"), for initiation of sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of Decor Paper (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

The applicant has alleged that dumping has continued in India despite imposition of anti-dumping duty, and the domestic industry has suffered continued injury. It has also been alleged that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent intensified injury to the domestic industry, and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on imports of the subject goods from the subject country.

A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATION

1. The original anti-dumping investigation into imports of subject goods from the subject country was initiated vide initiation notification dated 30th September 2020. Post detailed investigation, the Authority vide final findings F. No. 6/38/2020-DGTR dated 28th September 2021, recommended imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject country. Such recommendations were given effect by Ministry of Finance vide Notification No. 77/2021 – Customs (ADD) dated 27th December 2021.

2. Thereafter, a producer of the subject goods from China namely, Hangzhou Huawang New Material Technology Co. Ltd. and an Indian importer, namely, Fakirsons Papchem Private Limited filed a Special Civil Application (“SCA”) No. 16555 of 2021 on 18th October 2021 before the Hon’ble High Court of Gujarat challenging the final findings on the grounds that the exporter was unfairly treated as non-cooperative. Consequently, the Hon’ble High Court issued an order dated 11th January 2022, directing the Authority to consider the submissions by the said exporter.

3. Based on the Order issued by the Hon'ble High Court, the Authority issued addendum final findings dated 10th April 2022, which were given effect by the Ministry of Finance vide Notification No. 15/2022-Customs (ADD) dated 24th May 2022.

4. Subsequently, the Designated Authority received two applications. One on behalf of Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd and Fakirsons Papchem Private Limited, requesting re-quantification of margins, and another from Indian Laminates Manufacturers' Association on behalf of its members Century Plyboards (India) Limited, Merino Industries Limited, JKS Decor Paper LLP and Thansau Decors Private Limited requesting clarification on the scope of product under consideration. On the basis of these applications, the Authority initiated a mid-term review of the anti-dumping duty imposed on the imports of Decor Paper from China. The Authority issued final findings F.No. 7/15/2023-DGTR dated 25th March 2025, which was given effect by the Ministry of Finance vide notification No. 19/2025 – Customs (ADD) dated 24th June 2025. The existing anti-dumping duties are presently in force till 26th December 2026.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

5. The product under consideration in the present investigation is uncoated paper in reel form of 40-130 GSM, having klemm absorbency of at least 12mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100ml, containing titanium dioxide or pigments as filler. It is a base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed decor paper classifiable under 4811.

6. The product under consideration includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white) but excludes printed decor paper classifiable under 4811. It may be imported as base paper for vaxing, coating and impregnation; base paper for printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes such as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.

7. The present investigation being a sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigations.

8. The subject goods are classified under Chapter 48 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975 under the classification 4805 91 00 and are also imported under HS Code 4802 20 90.

9. The domestic industry has proposed the following PCN methodology:

S.N.	Characteristics	Code Description	Code Sign
1.	GSM	Less than 50 GSM	"1"
		From 50 GSM to less than 70 GSM	"2"
		70 GSM and above	"3"
2.	Colour	Coloured decor paper	"C"
		Uncoloured decor paper	"U"
3.	Application	Decor paper for liner / surfacing application	"1"
		Decor paper for other applications	"2"

10. The interested parties in the present investigation may provide their comments on the scope of product under consideration and the proposed PCN methodology, if any, within 15 days of receipt of intimation of initiation of the investigation.

C. LIKE ARTICLE

11. There is no known difference between the subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration imported from the subject country in all terms including, characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. Both products are technically and commercially substitutable and the consumers use them interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as "like article" to the subject goods imported from the subject country.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. The application has been filed by ITC Limited. Apart from the applicant, there are two other producers of the subject goods namely, Pudumjee Paper Products and Shree Krishna Papers. The applicant has not imported the subject goods from the subject country in the period of investigation. Further, the applicant is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or any importer in India.

13. Pudumjee Paper Products Limited has filed a support letter and requested for initiation of the present investigation and continuation of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

14. In view of the above and after examination of the application filed by the applicant, the Authority prima facie notes that the applicant along with the supporter accounts for a major proportion of the total Indian production during the period of investigation, and applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) and the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. SUBJECT COUNTRY

15. The subject country for the purpose of the present review is China PR.

F. PERIOD OF INVESTIGATION

16. The applicant has proposed period from 1st April 2025 – 31st December 2025 as the period of investigation. However, the Authority has considered the period of investigation for the present investigation as 1st April 2025 – 31st March 2026. The injury investigation period shall cover the periods 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

G. BASIS FOR LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

i. <u>Normal Value</u>

17. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and therefore, the Chinese producers should be called upon to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules. Under Para 7, normal value for a non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of the subject goods in market economy third country or price from such third country to other countries, including India, or on some other reasonable basis including price paid or payable in India.

18. The normal value, for the purpose of initiation of the present investigation, has been constructed based on price payable in India. The normal value has been constructed based on the cost of production of the domestic industry of the subject goods duly adjusted for the selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

ii. **Export price**

19. The export price of the subject goods has been computed based on the CIF price of the subject goods, as reported in DG Systems data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight and credit cost to determine the ex-factory export price.

iii. **Dumping margin**

20. The normal value and the export prices have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin is above the de-minimis level with respect to the subject goods imported from the subject country. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in India

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

21. The present investigation being a sunset review, the Authority is required to examine whether the cessation or revocation of the duty in force would lead to a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

22. The applicant has provided prima facie evidence establishing that the subject imports have continued to cause injury to the domestic industry. The volume of subject imports has increased over the injury period. The subject imports have continued to undercut the prices of the domestic industry and have caused price suppression and depression. Further, the continued presence of the dumped imports of the subject goods from the subject country has resulted in decline in profits, cash profits, and return on investment of the domestic industry. Further, there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury as India is a crucial market for Chinese producers as dumping has continued in India. Chinese producers have excess capacities and they are dumping in third country and have lost market due to imposition of anti-dumping duty in other jurisdiction. The Authority notes that there is sufficient prima facie evidence demonstrating likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of current anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country.

I. INITIATION OF SUNSET REVEW INVESTIGATION

23. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country, and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

24. The sunset review will cover all aspects of the final findings published vide Notification F. No. 6/38/2020-DGTR dated 28th September 2021 and final findings published vide Notification F. No. 7/15/2023-DGTR dated 25th March 2025, recommending imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

25. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

26. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

27. The known producers/exporters in subject country, the government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

28. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a nonconfidential version of the same available to the other interested parties.

30. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

L. TIME LIMIT

31. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID **AD/SSR/010/2026.** Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns **within 37** days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

32. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only. The prescribed time limit to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this Initiation Notification.

33. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.

34. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

35. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

36. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

37. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

38. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

39. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

40. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

41. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

42. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. NON-COOPERATION

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative, record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA